न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Jodhpur-2017-056(GCMS2017-00160) RTA223 LRs of Jaisingh Vs Smt Geeta etc

जयसिंह पुत्र पूनाराम के कायममुकामान-
1. श्रीमती पुष्पा पत्नी जयसिंह जाति माली
2. गणपतराम पुत्र जयसिंह जाति माली
3. शारदा पुत्री जयसिंह जाति माली
   निवासीगण केयर ऑफ कुमाराम भाटी
   ग्राम देदीयानाडा, तहसील व जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. गीता पुत्री पुसाराम पत्नी मांगीलाल जाति माली,
   निवासी भक्तों का बास, ग्राम चौखा,
   तहसील व जिला जोधपुर
2. भंवरलाल पुत्र पूनाराम जाति माली,
   निवासी ग्राम चौखा, तहसील व जिला जोधपुर
3. हुकमाराम पुत्र पूनाराम जाति माली,
   निवासी ग्राम चौखा, तहसील व जिला जोधपुर
4. अचलाराम पुत्र पूनाराम जाति माली,
   निवासी ग्राम चौखा, तहसील व जिला जोधपुर
5. गोमादेवी पत्नी पुत्र पूनाराम जाति माली,
   निवासी ग्राम चौखा, तहसील व जिला जोधपुर
6. दडिया देवी पुत्री पूनाराम पत्नी अणदाराम जाति माली,
   निवासी मगरा बास, ग्राम चौखा,
   तहसील व जिला जोधपुर
7. देवी पुत्री पुसाराम पत्नी भभूताराम जाति माली,
   निवासी नवोडाबेरा ग्राम केरू,
   तहसील व जिला जोधपुर
8. राधा पुत्री पुसाराम पत्नी रावताराम
   जाति माली, निवासी नेमसागर बेरा,
   पाल गांव, तहसील व जिला जोधपुर
9. दाखु पुत्री पुसाराम पत्नी मंगलाराम के कायममुकामान-
   9.1. मूलसिंह पुत्र मंगलाराम के कायममुकामान-
      9.1.1. मीरा पत्नी मूलसिंह जाति माली
      9.1.2. ब्रह्मसिंह पुत्र मूलसिंह जाति माली
      9.1.3. शेरसिंह पुत्र मूलसिंह जाति माली

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

9.1.4. रेखा पुत्री मूलसिंह पत्नी सवाईसिंह जाति माली
9.1.5. निर्मला पुत्री मूलसिंह पत्नी चेनाराम जाति माली
निवासी मोर भाकरी, गांव गोलासनी,
तहसील व जिला जोधपुर

9.2. काशी पुत्र मंगलाराम के कायममुकाम-
9.2.1. रामेश्वरी पुत्री काशी पत्नी प्रेमजी जाति माली,
निवासी नया बास, सालावास, लूणी,
जिला जोधपुर

9.3. संतोक पुत्र मंगलाराम जाति माली
निवासी मोर भाकरी, गोलासनी,
तहसील व जिला जोधपुर

9.4. श्याम पुत्र मंगलाराम जाति माली
निवासी मोर भाकरी, गोलासनी,
तहसील व जिला जोधपुर

9.5. ताराचंद पुत्र मंगलाराम जाति माली
निवासी मोर भाकरी, गोलासनी,
तहसील व जिला जोधपुर

9.6. सीता पुत्री मंगलाराम पत्नी ढलाराम जाति माली,
निवासी नयाबास, सालावास,
तहसील लूणी, जिला जोधपुर

10. चुकी पुत्री पुसाराम पत्नी नेमीचंद के कायममुकामान-
10.1. हीरालाल पुत्र नेमीचंद जाति माली
निवासी माता की भाकरी, सालावास,
तहसील लूणी, जिला जोधपुर
10.2. दिनेदश पुत्र नेमीचंद जाति माली
निवासी माता की भाकरी, सालावास,
तहसील लूणी, जिला जोधपुर
10.3. बेबी पुत्री नेमीचंद पत्नी चैनजी जाति माली,
निवासी सूरसागर भाकरी, तहसील व जिला जोधपुर
10.4. उमा पुत्री नेमीचंद पत्नी जयसिंह जाति माली,
निवासी भक्तों का बास, ग्राम चौखा,
तहसील व जिला जोधपुर

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक 06 जून 2017 राजस्व वाद संख्या 214/2013 गीता बनाम भंवरलाल इत्यादि

उपस्थित-

श्री अनिल राठी एवं श्री धनराज चौधरी, अधिवक्तागण-अपीलाण्ट
श्री अमरसिंह चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री राजाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 10.1 से 10.4
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 11

नि र्ण य

दिनांक : 19 दिसम्बर, 2022

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 214/2013 गीता बनाम भंवरलाल इत्यादि में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 06 जून 2017 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 10 जुलाई 2017 को अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादिनी-रेस्पो. संख्या एक श्रीमती गीता पुत्री पुसाराम ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 53 के तहत एक राजस्व वाद आराजी खसरा संख्या 130 रकबा 63 बीघा 05 बिस्वा एवं खसरा संख्या 564 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा वाके मौजा बडली के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं नाप एवं सीमांकन के जरिये विभाजन हेतु पेश कर वादग्रस्त आराजियात में विरासतन अपना ⅙ हिस्सा होना जाहिर किया। प्रतिवादी-पक्ष की ओर से उक्त वाद का जबाब पेश कर विरोध किया गया। दावे एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात की गयी और पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद उक्त वाद जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 06 जून 2017 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं एवं तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि नहीं है, इस कारण खातेदार पुसाराम के देहान्त के बाद उक्त भूमि श्रीमती पपीया पत्नी पुसाराम एवं पूनाराम पुत्र पुसाराम के नाम दर्ज हुई। वादिनी-रेस्पो. संख्या एक का उक्त आराजियात बाबत पुश्तैनी आधार पर कोई हक हिस्सा नहीं बनता है और न ही वादग्रस्त आराजियात पर उसका कब्जा-काश्त रहा है। खातेदार पुसाराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपनी पांचों पुत्रियों का विवाह, समस्त आणे-टाणें एवं सामाजिक कर्त्तव्यों का निर्वहन कर दिया गया था, पुसाराम के देहान्त के समय उनकी सभी पुत्रियों की सहमति से पुसाराम की पत्नी पपीया एवं पुत्र पुनाराम का नाम जरिये म्युटेशन राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजियात बाबत दर्ज किया गया। इन सभी तथ्यों एवं प्रस्तुत साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में प्रकरण रख कर आनन-फानल में बिना समुचित विवेचन एवं विश्लेषण अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कर दिये गये, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में तनकियात अवश्य कायम की गयी है किन्तु उनके संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य का समुचित विवेचन नहीं करने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के कारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विस्तृत एवं विधिवत न्यायिक निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में वादिनी-रेस्पो. संख्या एक ने अपने भाई पूनाराम के पुत्र जयसिंह के वारिसान में दिनेश पुत्र जयसिंह को पक्षकार बनाया है, जबकि जयसिंह के पुत्र का नाम गणपतराम है, जिसे पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा पक्षकारान के कुसंयोजन एवं असंयोजन के कारण खारिज किये जाने योग्य हो जाता है। इसी प्रकार दावा में राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर को प्रतिवादी संख्या 11 संयोजित किया गया है, जबकि धारा 79 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर जोधपुर पक्षकार कायम किया जाना चाहिये था। यही नहीं, दावा पेश करने के पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस भी नहीं दिया गया। इस कारण भी वादिनी-रेस्पो. संख्या एक का दावा धारा 79 व 80 सीपीसी से बाधित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स ने अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन किया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात के खातेदार पुसाराम का निर्वसीयती के रूप में देहान्त हुआ, इस कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वादग्रस्त आराजियात में खातेदार पुसाराम से सभी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों का समान हक-हिस्सा बनता है, किन्तु फौतेदगी म्युटेशन मात्र पुसाराम की पत्नी पपीया एवं पुत्र पूनाराम के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नाम ही स्वीकृत किया जबकि खातेदार पुसाराम का देहान्त निर्वसीयती होने के कारण वादग्रस्त आराजियात में उसकी प्रथम श्रेणी की वारिसान पांचों पुत्रियों (दडिया, देवी, राधा, दाखु, चुकी व गीता) का भी हक हिस्सा बनता है। कालान्तर में पपीया पत्नी पुसाराम का देहान्त होने पर भी उसके हिस्से की भूमि बाबत म्युटेशन स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में मात्र पुत्र पूनाराम के ही नाम दर्ज किया गया, जबकि पुत्रियों का भी पुत्र के समान ही हक-हिस्सा बनता है। अपने हिस्से की भूमि बाबत अधिकारों की घोषणा एवं विभाजन का दावा वादिनी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करने पर प्रतिवादी-पक्ष की ओर से जबाब पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार तनकियात कायम की गयी और उभयपक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद विधिवत विवेचन एवं विश्लेषण कर तनकीवार निष्कर्ष पारित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये दावा स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में प्रकरण रखने की जानकारी प्रतिवादी-पक्ष को भलीभांति रही है और उनकी ओर से अधिवक्ता भी उपस्थित हुए है। भूमिधारी की हैसियत से विभाजन के वाद में राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है, उसके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः किसी भी प्रकार से धारा 79 एवं 80 सीपीसी का उल्लंघन नहीं हुआ है। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजियात स्व. पुसाराम की खातेदारी की होने तथा खातेदार पुसाराम का निर्वसीयती देहान्त होने के संबंध में कोई विवाद नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति के निर्वसीयती फौत होने पर उसकी सम्पत्ति में उसके सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान का समान अधिकार होता है। आलौच्य मामले में खातेदार पुसाराम का देहान्त होने के समय उसकी पत्नी, एक पुत्र एवं पांच पुत्रियॉ प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने से प्रत्येक का वादग्रस्त आराजियात में 1/7-1/7 हक-हिस्सा बनता है, किन्तु वादग्रस्त आराजियात बाबत म्युटेशन संख्या 337 दिनांक 19 दिसम्बर 1987 मात्र पुसाराम के पुत्र एवं पत्नी के नाम ही स्वीकृत हुआ। इसी प्रकार पुसाराम की पत्नी पपीया का देहान्त होने पर उसके हिस्से की भूमि बाबत स्वीकृत म्युटेशन में भी पुसाराम की पांचों पुत्रियों का नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। जबकि पपीया देवी के हिस्से को सभी पुत्र पुत्रियों के समान रूप से विभाजित करने पर वादग्रस्त आराजियात के सम्पूर्ण रकबे बाबत पुसाराम के पुत्र एवं पांचों पुत्रियों प्रत्येक का 1/6-1/6 हक-हिस्सा बनता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेज 78 से 87 पंजीबद्ध हकतर्कनामा प्रदर्श-3 उपलब्ध है जो श्रीमती देवी पुत्री फुसाराम पत्नी भभूतराम तथा श्रीमती राधा पुत्री फुसाराम पत्नी रावतराम द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 559 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खसरा संख्या 564 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 130 रकबा 63 बीघा 05 बिस्वा वाके मौजा बडली में अपना पुश्तैनी हिस्सा भंवरलाल, जयसिंह, हुक्माराम पिसरान पुनाराम के पक्ष में तर्क करते हुए निष्पादित किया गया है। इससे भी खातेदार पुसाराम की पुत्री होने के आधार पर वादग्रस्त आराजियात में वादिनी-रेस्पो. संख्या एक का ⅙ हक-हिस्सा होना प्रकट होता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा **तनकी संख्या एक** (आया आया वादिनी वाके ग्राम बडली के खसरा नम्बर 130 रकबा 63 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 564 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा जो कि वादपत्र के पद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि के ⅙ भाग की सहखातेदार घोषित करवाने की अधिकारिणी है?) का निष्कर्ष वादिनी-रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में पारित करने में कोई त्रुटि अथवा अनियमितता किया जाना नहीं पाया जाता है।

तनकी संख्या एक बाबत पारित निष्कर्ष के अनुसार जब वादिनी-रेस्पो. संख्या एक वादग्रस्त आराजियात के ⅙ हिस्से बाबत सहखातेदार पायी जाने पर **तनकी संख्या दो** (आया वादिनी वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि विवादग्रस्त जायदाद का विभाजन करवा कर अपने हिस्से को पृथक करवाने की अधिकारिणी है?) का निष्कर्ष भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया जाना पाया जाता है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

तनकी संख्या तीन (आया वादग्रस्त जायदाद का मौखिक बंटवाडा हो जाने से जायदाद प्रतिवादी का प्राप्त हो गयी, इसमें वादिनी को विवादग्रस्त जायदाद में कोई हिस्सा व अधिकार नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है?) को साबित करने का दायित्व प्रतिवादी-पक्ष पर रखा गया है किन्तु इस तनकी को साबित करने के लिए प्रतिवादी-पक्ष की ओर से ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे वादग्रस्त आराजियात का पूर्व में पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन होना साबित होता हो। इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रदर्श-3 पंजीबद्ध हकतर्कनामा उपलब्ध होने से प्रतिवादी-पक्ष की ओर से मौखिक बंटवारे बाबत किये गये अभिकथन की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। अतः तनकी संख्या तीन बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष यथावत रखा जाता है।

वादिनी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजियात बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 53 के तहत प्रस्तुत खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन के वाद में भूमिधारक होने के आधार पर राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर को पक्षकार अवश्य बनाया गया है, किन्तु उसके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। ऐसी स्थिति में धारा 79 एवं 80 सीपीसी के प्रावधानों के उल्लंघन संबंधित अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है और न ही ऐसे किसी तकनीकी आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अथवा संशोधन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

इसी प्रकार अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का यह तर्क भी उचित प्रतीत नहीं होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर आनन-फानन में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। इस संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की पत्रावली का अवलोकन करने पर जयसिंह के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 2/1 से 2/3 (वर्तमान अपीलाण्ट्स) के सम्मन रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 16 मार्च 2017 को भिजवाया जाना और इसके उपरान्त भी उनके अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 23 मई 2017 को उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाया जाना प्रकट होता है। इसके बाद प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं प्रतिवादी-पक्ष की सहमति के आधार पर मामला राजस्व लोक अदालत में रखा गया और उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस समायत की जाकर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य सबूत एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों बाबत तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये गये है। स्वंय अपीलाण्ट्स द्वारा अपील में पेज संख्या 9 व 10 पर अंकित बिन्दु संख्या 4 में "... अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिकथनों के आधार पर तनकियात कायम की। इसके पश्चात दोनों पक्षों ने जुबानी एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की। तदोपरान्त विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखा और दोनों पक्षकारान की बहस सुन कर अपने अपीलाधीन निर्णय व आदेश दिनांक 06.06.2017 द्वारा रेस्पो./वादीनी के दावे को स्वीकार करके डिकी कर दिया।" वर्णित किया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी अपीलाण्ट्स को समुचित अवसर प्रदान किये बिना और राजस्व लोक अदालत में रख कर आनन-फानन में पारित किये गये है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 जून 2017 न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाये जाने से यथावत रखे जाते है और अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.12.22

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट

जयसिंह पुत्र पूनाराम के कायममुकामान-

1. श्रीमती पुष्पा पत्नी जयसिंह जाति माली
2. गणपतराम पुत्र जयसिंह जाति माली
3. शारदा पुत्री जयसिंह जाति माली

निवासीगण केयर ऑफ कुमाराम भाटी
ग्राम देदीयानाडा, तहसील व जिला जोधपुर

ब

ना

म

रेस्पोडेण्ट

1. गीता पुत्री पुसाराम पत्नी मांगीलाल जाति माली, निवासी भक्तों का बास, ग्राम चौखा, तहसील व जिला जोधपुर
2. भंवरलाल पुत्र पूनाराम जाति माली, निवासी ग्राम चौखा, तहसील व जिला जोधपुर
3. हुकमाराम पुत्र पूनाराम जाति माली, निवासी ग्राम चौखा, तहसील व जिला जोधपुर
4. अचलाराम पुत्र पूनाराम जाति माली, निवासी ग्राम चौखा, तहसील व जिला जोधपुर
5. गोमादेवी पत्नी पुत्र पूनाराम जाति माली, निवासी ग्राम चौखा, तहसील व जिला जोधपुर
6. दडिया देवी पुत्री पूनाराम पत्नी अणदाराम जाति माली, निवासी मगरा बास, ग्राम चौखा, तहसील व जिला जोधपुर
7. देवी पुत्री पुसाराम पत्नी भभूताराम जाति माली, निवासी नवोडाबेरा ग्राम केरु, तहसील व जिला जोधपुर
8. राधा पुत्री पुसाराम पत्नी रावताराम जाति माली, निवासी नेमसागर बेरा, पाल गांव, तहसील व जिला जोधपुर
9. दाखु पुत्री पुसाराम पत्नी मंगलाराम के कायममुकामान-
   - 9.1. मूलसिंह पुत्र मंगलाराम के कायममुकामान-
     - 9.1.1. मीरा पत्नी मूलसिंह जाति माली
     - 9.1.2. ब्रह्मसिंह पुत्र मूलसिंह जाति माली
     - 9.1.3. शेरसिंह पुत्र मूलसिंह जाति माली
     - 9.1.4. रेखा पुत्री मूलसिंह पत्नी सवाईसिंह जाति माली
     - 9.1.5. निर्मला पुत्री मूलसिंह पत्नी चेनाराम जाति माली

निवासी मोर भाकरी, गांव

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गोलासनी, तहसील व जिला जोधपुर

9.2. काशी पुत्री मंगलाराम के कायममुकाम-

9.2.1. रामेश्वरी पुत्री काशी पत्नी प्रेमजी जाति माली, निवासी नया बास, सालावास, लूणी, जिला जोधपुर

9.3. संतोक पुत्र मंगलाराम जाति माली निवासी मोर भाकरी, गोलासनी, तहसील व जिला जोधपुर

9.4. श्याम पुत्र मंगलाराम जाति माली निवासी मोर भाकरी, गोलासनी, तहसील व जिला जोधपुर

9.5. तराचंद पुत्र मंगलाराम जाति माली निवासी मोर भाकरी, गोलासनी, तहसील व जिला जोधपुर

9.6. सीता पुत्री मंगलाराम पत्नी ढलाराम जाति माली, निवासी नयाबास, सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर

10. चुकी पुत्री पुसाराम पत्नी नेमीचंद के कायममुकामान-

10.1. हीरालाल पुत्र नेमीचंद जाति माली निवासी माता की भाकरी, सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर

10.2. दिनेदश पुत्र नेमीचंद जाति माली निवासी माता की भाकरी, सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर

10.3. बेबी पुत्री नेमीचंद पत्नी चैनजी जाति माली, निवासी सूरसागर भाकरी, तहसील व जिला जोधपुर

10.4. उमा पुत्री नेमीचंद पत्नी जयसिंह जाति माली, निवासी भक्तों का बास, ग्राम चौखा, तहसील व जिला जोधपुर

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक 06 जून 2017 राजस्व वाद संख्या 214/2013 गीता बनाम भंवरलाल इत्यादि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 19 दिसम्बर 2022 बहाजरी अधिवक्ता श्री अनिल राठी एवं श्री धनराज चौधरी मिनजानिब अपीलाण्ट्स, अधिवक्ता श्री अमरसिंह चौधरी, श्री राजाराम चौधरी एवं राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 06 जून 2017 न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाये जाने से यथावत रखे जाते है और अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रूपये ---------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 19 दिसम्बर 2022 को जारी किया गया।

19.12.22

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

19.12.22

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर